

०-१-२०२२

तहसीलदार झुन्डुनू द्वारा कदीमी प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु रास्ता प्रस्ताव मग दर्स्तावेजात पेश किया गया। पटवार मंडल देरवाला के राजस्व ग्राम खांगा का बास में हाल भूमि खसरा नं. 156, 326/157, 157, 325/158, 158, 349/156, 348/155, 154 व 153 में से खांगा का बास से खांगा का बास तक जाने वाला प्रचलित रास्ता जो कि सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी, इत्यादि में रास्ता दर्ज करने की अभिपंथा सहित रिपोर्ट पेश की है। प्रस्तुत रास्ता दर्ज अवलोकन किया जाकर रास्ता प्रस्ताव पर प्रकरण का अवलोकन किया अनुसार उक्त रास्ता तहसीलदार झुन्डुनू को सुना गया। रिपोर्ट अनुसार उक्त रास्ता मौके पर चालू होना पाया गया तथा संलग्न ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार मौके पर प्रेवल डली हुई है। तहसीलदार झुन्डुनू के अनुसार प्रचलित रास्तों को रिकार्ड में दर्ज किये जाने पर किसी पक्षकार के हक हिसाबों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है बल्कि पक्षकारों के मध्य आपसी विवाद नहीं होने की संभावना होती है। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प3(2)राज-6/2003 घाटे जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.3 (17) राज-6/2021 पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.21 की योजना में न्यायालय मत पर जनहित व विधिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार झुन्डुनू द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र बाबत कदीमी रास्तों को रिकार्ड में लाने का स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार झुन्डुनू द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र (रास्ता प्रस्ताव) स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार झुन्डुनू को आदेशित किया जाता है कि वे मुताबिक रास्ता प्रस्ताव में वर्णित खसरा नम्बरों के विरुद्ध किसी अन्य सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो मुताबिक रास्ता प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में गैर मुफकिन रास्ता दर्ज करें। रास्ता प्रस्ताव आदेश का भाग रहेगा। प्रचलित रास्ते का रकबा जो खातेदारी भूमि में पड़ रहा है वह गै0गु0 रास्ता दर्ज होने के उपरान्त निजी खातेदारी में ही रहेगा। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार झुन्डुनू को प्रेषित की जावे। प्रार्थना पत्र फैशल शुमार हाकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं वाद तकमिल जाया दाखिल दफ्तर हो।

4
 राजस्व प्रकरण
 153/2021